

मुकाम.....

बनाम.....

प्रभुलाल

अणवाराम कोठ

मुकदमा.....

रा० वा० ८८/१८८

नं.....

109/20 सन 2020

रि अच-

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>9-7-2020</p> <p>14/7/2020</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेताराम शास्त्री</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>८८/१८८ रि अच</u></p> <p>राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/7/2020</u> को पेश हो।</p> <p><u>खेताराम शास्त्री</u> सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p> <p>वादी वकील <u>अणवाराम कोठ</u> प्रतिवादी वकील <u>अणवाराम कोठ</u> ने वकील श्री अणवाराम कोठ दारा पेश कालतनामा मय इनिशियल्स जज मय शपथपत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील दारा वादी साक्ष्य के रूप में पेश की है। का शपथपत्र PWA-1 व स्वतंत्र ग्यार PWA-2 का शपथपत्र पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील श्री अणवाराम कोठ पत्रावली व पत्रावली के सम्बन्ध में रिकॉर्ड का अपलोड करने के बाद प्रतीक स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग ले लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डीपी प्रवजिरीवेरुट पत्रावली के फल शुभ हो कर मय ले कर दो वाकिल (फरस्ट) <u>खेताराम शास्त्री</u> सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	<p>खेताराम शास्त्री</p> <p>अणवाराम कोठ</p> <p>अणवाराम कोठ</p>



# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S. )

राजस्व वाद संख्या- 109/2020

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. प्रभूलाल पुत्र अणदाराम
2. देवाराम पुत्र अणदाराम
3. जोगेन्द्र पुत्र अणदाराम  
जातियान्-जाट,  
निवासीयान्-जैतपुर, चौखला,  
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

1. अणदाराम गोद पुत्र रूपाराम  
जाति जाट निवासी जैतपुर, चौखला,  
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :- 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण  
2. श्री जगदीश चौधरी वकील प्रतिवादी

-: निर्णय :-

दिनांक : 14/7/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा जैतपुर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 422, 498/423, 505/437 रकबा क्रमशः 0.2912, 50.6515, 12.4182 हैक्टेयर आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज के वंशज हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादीगण के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

14/7/2020  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
बायतु

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया था वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादीगण के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण अणदाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जैतपुर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 422, 498/423, 505/437 रकबा क्रमशः 0.2912, 50.6515, 12.4182 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन दर्ज होगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 14/7/2020 को खुले न्यायालय

18/07/20  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
(विवेक व्यास)  
बायतु

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
में सुनाया गया।

18/07/20  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
(विवेक व्यास)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**अन्तिम डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु**  
पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.  
वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. प्रभूलाल पुत्र अणदाराम
2. देवाराम पुत्र अणदाराम
3. जोगेन्द्र पुत्र अणदाराम  
जातियान्-जाट,  
निवासीयान्-जैतपुर, चौखला,  
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

1. अणदाराम गोदपुत्र रूपाराम  
जाति जाट निवासी जैतपुर, चौखला,  
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

**दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

राजस्व वाद संख्या-109/2020.

निर्णय दिनांक :- 14/7/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ व प्रतिवादी की ओर से वकील श्री जगदीश चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14/7/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा जैतपुर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 422, 498/423, 505/437 रकबा क्रमशः 0.2912, 50.6515, 12.4182 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन दर्ज होगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



*(Signature)*  
सहायक कलक्टर (S.D.O.)  
(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**वाद के खर्चे**

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
<b>जोड़</b>		<b>जोड़</b>	